कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नैनीताल
दूरभाष न0 05942–235572 फैक्स न0 05942–233549 ई–मेल–cepdpwdntl@gmail.com

पत्रांक :- 1453/6 से   दिनॉक :- 8/9/2016

सेवा में,

आईडिया सैलुलर लि0
प्रथम तल ए–68 से0–64
नोयडा (उत्तर प्रदेश) 201301

विषयः— नैनीताल कालाढूंगी मोटर मार्ग के किमी0 1 से 34 तक व नैनीताल शहर के आन्तरिक मार्गो के अन्तर्गत अपर माल रोड़, अपर कालाढूंगी रोड़, चार्टन रोड़, कोलविन रोड़, मेविला रोड़, नैनीताल अल्मोड़ा मैदल मार्ग (जू–रोड) मिडिल चीना मार्गो व जनपद नैनीताल में ज्योलीकोट से निरीक्षण भवन पहुँच मार्ग के अनुमति के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित कम में ओ0एफ0सी0 लाईन बिछाने की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है।

1– ओ0एफ0सी0 लाईन बिछाने हेतु ट्रैन्च खुदान का कार्य 1 अक्टूबर 2016 के बाद ही शुरू किया जायेगा।

2– यह अनुमति प्रारम्भ के 5 किमी0 लम्बाई मे ही कार्य प्रारम्भ करने हेतु दी जा रही है। एक किमी0 में एक ही स्थान पर ट्रैन्च खुदान का कार्य प्रारम्भ किया जाय तथा 200 मीटर लम्बाई मे ट्रैन्च खुदान करने के बाद आगे के भाग में ट्रैन्च खुदान का कार्य तब तक प्रारम्भ न किया जाय जब तक कि पूर्व खुदान के भाग को मिट्टी पत्थर से भर न दिया जाय।

3– ओ0एफ0सी0 केबल मार्ग के सतह से मैदानी क्षेत्र में 1.5 मीटर एंव पर्वतीय क्षेत्र में 1.0 मीटर गहराई में डाली जायेगी, पहाडी क्षेत्र में यदि कही 1.0 मीटर गहराई तक खुदान किया जाना सम्भव न हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के संज्ञान में लाने के उपरान्त अनुमति लेकर कार्य कराया जायेगा। ट्रैन्च खुदान का कार्य केवल 45 सेमी0 चौडाई में ही किया जाय।

4– मार्ग में सिर्फ हिल साईड में ही खुदान किया जाय। किसी भी स्थिति में खड्ड साइड में खुदान न किया जाय।

5– ट्रैन्च खुदान के समय रोड सेफ्टी का पूर्ण ध्यान रखा जाय एंव लाल झण्डियों एंव कार्य प्रगति सम्बन्धी सूचना पट्ट अवश्य लगाये जाये। ट्रैन्च खुदान एंव ओ0एफ0सी0 केबिल डालने के उपरान्त मार्ग को पूर्व स्थिति में लाना होगा एंव इस बीच यातायात को सुचारू रखने की समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। ट्रैन्च खुदान के कारण यदि कोई दुर्घटना होती है तो पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

6– ट्रैन्च खुदान सिर्फ पटरी या नाली में किया जाय एंव मार्ग की पेन्टेड सतह को क्षति न पहुँचायी जाय।

7– उक्त मार्ग में होने वाली क्षति के सम्बन्ध में यदि कोई अतिरिक्त क्षति होती है तो उक्त का भुगतान आपके द्वारा किया जायेगा।

8– ट्रैन्च खुदान का कार्य श्रमिको द्वारा ही किया जाय तथा इस हेतु जे0सी0बी0 मशीन आदि का प्रयोग न किया जाय।

9– उक्त के अन्तर्गत आपके द्वारा 9 मार्गो में ओ0एफ0सी0 केबल डालने की अनुमति चाही गयी है 9 के 9 मार्गो का टाइम प्लान तैयार कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि अन्य मार्गो पर भी अनुमति जारी की जा सके।

10– यदि भविष्य में मार्ग का निर्माण/पुनः निर्माण कार्य विभाग द्वारा किया जाता है एंव उसमें ओएफसी लाईन क्षतिग्रस्त होती है तो ऐसी स्थिति में इस विभाग का कोई उत्तरदायित्व नही होगा।

11– यह अनुमति एक लम्बाई में एक ही बार ट्रैन्च खुदान करने हेतु दी जा रही है।

12 – यह अनापत्ति पत्र उपरोक्त शर्तो के अधीन दिया जा रहा है। उपरोक्त के अनुपालन न किये जाने की स्थिति में यह अनापत्ति पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

08/09/16
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0विभाग
नैनीताल

पत्रांक :–   दिनाँक :–

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी महोदय, नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लो0नि0वि0 नैनीताल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सहायक अभियन्ता प्रथम प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से यह सुनिश्चित करें कि अनापत्ति पत्र में दी गयी शर्तो के अन्तर्गत ही आईडिया सैलुलर लि0 द्वारा कार्य सम्पादन किया जाय।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0विभाग
नैनीताल